कार्यकारी परिषद की दिनांक 01 दिसम्बर 2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न बराद सदन, शैक्षणिक ब्लॉक, सिक्किम विश्वविद्यालय, के सभा-कक्ष में आयोजित 29वीं बैठक के कार्यवृत्त

कार्यकारी परिषद की 29वीं बैठक दिनांक 01 दिसम्बर 2017 को 11 बजे पूर्वाह्न बराद सदन के सभा कक्ष में आयोजित की गई थी । निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे :

1.	प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग, कार्यवाहक कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	प्रो. चेतन सिंह, पूर्व निदेशक, आई ए ए एस, शिमला	-	सदस्य
3.	श्री टी.आर.पौड़याल, आई एफ एस(सेवानि.) पूर्व सचिव, सिक्किम सरकार	-	सदस्य
4.	श्री कमल काफ्ले, सचिव (सेवानि.) जी ओ एस पाक्योंग, सिक्किम	-	सदस्य
5.	डॉ. श्री राधा दत्ता, अतिविशिष्ट फेलो एशियन कंफ्लुएंस, शिलांग		
6.	डॉ. बापुकन चौधरी, एन्थ्रोपोलॉजी विभाग, गौहाटी विश्वविद्यालय	-	सदस्य
7.	प्रो. इर्शाद गुलाम अहमद, डीन , भाषाएं एवं साहित्य स्कूल	-	सदस्य
8.	प्रो. वी. रामादेवी, डीन व्यवसायिक अध्ययन स्कूल	-	सदस्य
9.	डॉ. नवल के पासवान, डीन सामाजिक विज्ञान स्कूल	-	सदस्य
10.	प्रो. नुतन कुमार एस थिंगुजाम, डीन, मानव विज्ञान स्कूल	-	सदस्य
11.	डॉ. एस मणिवन्नान, छात्र कल्याण का डीन	-	सदस्य
12.	प्रो. प्रताप चंद्र प्रधान, प्रमुख, नेपाली विभाग	-	सदस्य
13.	डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय,एसोसिएट प्रोफेसर, भौतिकी विभाग	-	सदस्य
14.	श्री देवाशिष पाल, वित्त अधिकारी	-	विशेष आमंत्रित
15.	श्री टी.के. कौल, कुलसचिव	-	सचिव

श्री जी पी उपाध्याय, अपर मुख्य सचिव, एच आर डी डी, सिक्किम सरकार का प्रतिनिधित्व श्री डी के प्रधान, विशेष सचिव एवं निदेशक (उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा) सिक्किम सरकार ने किया ।

प्रो. घनश्याम नेपाल एवं प्रो. अमरेश दुबे अपनी पूर्व कार्य व्यवस्तता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, उन्होंने अनुपस्थिति हेतु छुट्टी की याचना की ।
श्री सत्यम राणा, सहायक परिषद के सहायतार्थ उपस्थित थे ।

प्रांरभ में सचिव ने प्रो. ज्योति प्रकाश तामंग, कार्यकारी कुलपति का परिषद के अध्यक्ष के रूप में परिचय करवाया, प्रो. टी बी सुब्बा से प्रभार लेने के बाद उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है, प्रो. टी बी सुब्बा अपने कार्यकाल की समाप्ति पर दिनांक 13 अक्टूबर 2017 (अप0) को कार्यालय का परित्याग किया ।

तत्पश्चात अध्यक्ष ने परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया, विशेषकर श्री देवाशीष पाल, वित्त अधिकारी का जो कि विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में परिषद की बैठक में पहली बार उपस्थित हुए थे ।

अध्यक्ष महोदय ने प्रोफेसर टी बी सुब्बा, पूर्व कुलपति के कार्यकारी परिषद में बहुमूल्य अवदानों, विशेषकर प्रणाली को सुदृढ़ करने, नवीनतम विचारों का समावेश करने तथा सबसे महत्वपूर्ण अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में बैठक का सुचारु रुप से संचालन करने को अभिलेखित किया। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे,जिसका समान्यत: सिक्किम में एवं विशेष रूप से विश्वविद्यालय के उच्चतर शिक्षा की गुणता एवं मानक पर गुणकारी प्रभाव पड़ा है ।

तत्पश्चात निम्नानुसार कार्यसूची मदों पर विचार किया गया:

भाग - 1

कार्यवृत्त एवं अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट की पुष्टि

ई.सी. 29.1.1: कार्यकारी परिषद की दिनांक 11 अगस्त 2017 को आयोजित 28वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कार्यकारी परिषद की दिनांक **11 अगस्त 2017** को आयोजित 28वीं बैठक के कार्यवृत्त दिनांक **31 अगस्त 2017 को सभी सदस्यों के बीच**परिचालित किया गया । परिषद के किसी भी सदस्य से सिकी प्रकार की टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी ।

कार्यकारी परिषद की दिनांक **11 अगस्त 2017** को आयोजित एवं दिनांक 31 अगस्त 2017 को सभी सदस्यों के बीच परिचालित 28वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर ली गई थी ।

ई.सी. 29.1.2: कार्यकारी परिषद की दिनांक11 अगस्त 2017 को आयोजित 28वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

सचिव ने परिषद की 28 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत किया । परिषद को सूचित किया गया कि वित्त अधिकारी के नाम की सही वर्तनी Shri Debashish Pal है न कि Shri Debashish Paul जैसा की 28 वीं बैठक के कार्यवृत्त में उल्लेखित है (ईसी 28.4.2.3) परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई को नोट किया ।

भाग - 2, रिपोर्टिंग मदें

ई.सी. 29.2.1: डॉ दिनेश कुमार अहिरवारकी शांति एवं सघर्ष अध्ययन तथा प्रबंधन विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति

परिषद ने नोट किया कि सुश्री दीपमाला रोका को शांति एवं संघर्ष अध्ययन तथा प्रबंधन विभाग में सहायक प्रोफेसर का पद प्रस्तावित किया गया था, एवं उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी, क्योंकि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग में सहायक पद के प्रस्ताव को स्वीकार किया । डॉ. दिनेश कुमार अहिरवार जो की प्रतीक्षा सूची में थे, को सुश्री दीपमाला रोका के स्थान पर प्रस्ताव पत्र जारी किया गया था । डॉ. अहिरवार ने दिनांक 22 अक्टूबर 2017 को विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया ।

ई.सी. 29.2.2: श्री विनोद भट्टराई की समाजशास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति

परिषद ने नोट किया कि डॉ. रैले रॉकी जिपाओ को समाजशास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर प्रस्ताव जारी किया गया था । यद्यपि, उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने में 30 जून 2018 तक विस्तार का अनुरोध किया था, क्योंकि उनके पास कुछ अंतरराष्ट्रीय कार्य था । विश्वविद्यालय ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कार्य पर जाने की अपेक्षा कार्यभार ग्रहण करने को कहा था तथा दिनांक 27 सितंबर 2017 तक उन्हें कार्यभार ग्रहण कर लेने को कहा गया था । चूंकि उन्होंने निर्धारित तारीख तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया, उनका प्रस्ताव दिनांक 10 अक्टूबर 2017 के पत्र के माध्यम से रद्द कर दिया गया । श्री विनोद भट्टराई को डॉ. रैले रॉकी जिपाओ के स्थान पर पद का प्रस्ताव

दिया गया था, जोकि प्रतीक्षासूची में थे । श्री विनोद भट्टराई ने दिनांक 13 अक्टूबर 2017 को विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है।

ई.सी. 29.2.3: डॉ. मनीष, एसोसिएट प्रोफेसर के लिएन पर कार्यभार मुक्त किया जाना

डॉ. मनीष, एसोसिएट प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल, केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात में प्रोफेसर के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए लियन पर कार्यभार मुक्त किए जाने के विषय में परिषद द्वारा 11 अगस्त 2017 को आयोजित अपनी 28वीं बैठक में विचार विमर्श किया गया था । परिषद द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार डॉ. मनीष ने 3 माह की नोटिस सूचना दी तथा उन्हें 31 अक्टूबर 2017 (पूर्वाहन) को 1 वर्ष हेतु लियन पर कार्यमुक्त किया गया । परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई को नोट किया।

ई.सी. 29.2.4: श्री संदीपन कार का वैयक्तिक सहायक के रूप में नियुक्ति

परिषद की दिनांक 11 अगस्त 2017 को आयोजित 28वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर, वैयक्तिक सहायक के लिए स्टेनोग्राफी (स्कील जांच) दिनांक 16 अगस्त 2017 को उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की गई , जिन्होंने लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त की थी ।

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर एवं स्टेनोग्राफी की जांच में अर्हता प्राप्त करने पर, श्री संदीपन कार को व्यक्तिक सहायक के पद का प्रस्ताव जारी किया गया । श्री कारने विश्वविद्यालय में 6 नवंबर 2017 को कार्यभार ग्रहण किया। परिषद में विश्वविद्यालय की कार्रवाई को नोट किया।

भाग - 3संपुष्टि हेतु मामले

ई.सी. 29.3.1: डॉ. अनिल कुमार वर्मा की माइक्रोबायोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति

परिषद ने नोट किया कि डॉ. भूपेंद्र कुमार वर्मा को माइक्रोबायोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर प्रस्ताव जारी किया गया था, एवं उन्होंने दिनांक 15 सितंबर 2017 को विश्व विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने अपना त्याग पत्र प्रस्तुत किया, क्योंकि वे आई आई एम एस, नई दिल्ली में चयनित हुए थे । एक माह की नोटिस अवधि में कम पड़ गए अंश के लिए वेतन जमा करने पर उनका त्याग पत्र कुलपति द्वारा स्वीकार किया गया एवं 2 नवंबर 2017 (अपराहन) को कार्यभार मुक्त किया गया । डॉ अनिल कुमार वर्मा प्रतीक्षा सूची में थे तथा उन्हें डॉ. भूपेंद्र कुमार वर्मा के स्थान पर माइक्रोबायोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद का प्रस्ताव जारी किया गया ।

परिषद ने डॉ. अनिल कुमार वर्मा को डॉ. भूपेंद्र कुमार वर्मा के स्थान पर माइक्रोबायोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर प्रस्ताव जारी करने की कुलपति की कार्रवाई की संपुष्टि की ।

ई.सी. 29.3.2: डॉ. टेइबोरलांग टी खर्सिन्टेयु का अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद से त्याग-पत्र

परिषद ने नोट किया कि **डॉ. टेबोरलांग टी खर्सिंटीऊ** जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए 3 जनवरी 2016 से लागू लियन पर थे । बाद में उन्होंने एक और वर्ष के लिए लियन में विस्तार हेतु आवेदन किया, जो की स्वीकृत किया गया था । **डॉ. टेबोरलांग टी खर्सिंटीऊ** ने दिनांक 4 अक्टूबर 2017 के पत्र के माध्यम से अपने लियन की परिसमाप्ति हेतु अनुरोध किया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उनकी पुष्टि हो गई। कुलपति ने दिनांक 1 फरवरी 2016 से उनके लिए उनके लियन की परिसमाप्ति की स्वीकृति प्रदान की । परिषद ने **डॉ. टेबोरलांग टी खर्सिंटीऊ** की उनके अनुरोध पर दिनांक 1 फरवरी 2016 से लियनपरिसमाप्ति में कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की संपुष्टि की ।

ई.सी. 29.3.3: श्री दीपन छेत्री की पी डब्ल्यू डी (एच एच) श्रेणी के अंतर्गत प्रयोगशाला परिचारक के रूप में नियुक्ति

परिषद ने नोट किया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोगशाला परिचारक के 5 पदों [यू आर-4, (पी डब्ल्यू डी एच एच) एवं ओ बी सी -1] का विज्ञापन किया गया था । परिषद ने अपनी 28वीं बैठक में 3 यूआर एवं 1 ओबीसी पदों के विरुद्ध 4 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया था । पी डब्ल्यू डी एच एचश्रेणी के अंतर्गत 1 पद भूलवश छूट गया था । इस पद के विरुद्ध 2 अभ्यर्थियों, श्री दीपन छेत्री एवं श्री बलराम शर्मा लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए, तथा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्री दीपन छेत्री को पी डब्ल्यू डी एच एच श्रेणी के अंतर्गत प्रयोगशाला परिचारक के पद का प्रस्ताव जारी किया गया था, एवं उन्होंने दिनांक 10नवंबर 2017 को विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया।

परिषद ने श्री दीपन छेत्री को पी डब्ल्यू डी एच एच श्रेणी के अंतर्गत प्रयोगशाला परिचारक के पद हेतु लिखित परीक्षा में उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर प्रस्ताव पत्र जारी करने की कुलपति की कार्रवाई की संपुष्टि की ।

ई.सी. 29.3.4: श्री अंकुश गौरव का एलडीसी के पद से त्यागपत्र

श्री अंकुश गौरव ने विश्वविद्यालय में एलडीसी के पद पर दिनांक 1 दिसंबर 2015 को कार्यभार ग्रहण किया ।विश्वविद्यालय में उनकी सेवाएं स्थाई थी ! उन्होंने अपना त्यागपत्र 13 अक्टूबर 2017 से कार्यमुक्त किए जाने के अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया, ताकि वे राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली में सहायक के पद पर कार्य ग्रहण कर सकें ।3 महीने की सूचना अवधि में कम पड़े अंश हेतु समतुल्य वेतन जमा करवाने के पश्चात, कुलपति ने श्री अंकुश गौरव का त्याग पत्र स्वीकार किया तथा उन्हें दिनांक 13 अक्टूबर 2017 (पूर्वाहन) को कार्यमुक्त किया गया ।

परिषद ने श्री अंकुश गौरव का त्याग पत्र दिनांक 13 अक्टूबर 2017 से स्वीकार करने की कुलपति की कार्रवाई की संपुष्टि की ।

ई.सी. 29.3.5: श्री लाक्पा छिरिंग शेरपा, का वैयक्तिक सहायक से निजी सचिव में पदोन्नति

श्री लाक्पा छिरिंग शेरपा, वैयक्तिक सहायक भर्ति एवं पदोन्नति नियमावली (गैर शिक्षण) 2016 के अनुसार निजी सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य बने, जो कि पदोन्नति कोटा के अंतर्गत रिक्त पद था । योग्यता मापदंडों को पूरा करने एवं 16 अगस्त 2017 को स्टेनोग्राफी जांच में अर्हता प्राप्त करने के बाद, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशंसा करने पर **श्री लाक्पा छिरिंग शेर्पा,** को रू0 9300-34800 के बैंड में रुपए 4600 ग्रेड पे में निजी सचिव के पद पर पदोन्नत हुए थे । उन्होंने निजी सचिव के रूप में कार्यप्रभार दिनांक 1 सितंबर 2017(अप0)में ग्रहण किया । परिषद ने श्री **श्री लाक्पा छिरिंग शेरपा,** को निजी सचिव के रूप में पदोन्नत करने की कुलपति की कार्रवाई की संपुष्टि की।

भाग - 4

विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ विषय

ई.सी. 29.4.1: डॉ मदन कुमार यादव की नियुक्ति में विस्तार

कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदन के साथ डॉ. मदन कुमार यादव को डॉ. टेबोरलांग टी खर्सिटीऊ के लियन रिक्ति के विरुद्ध संविदा आधार पर सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति की गई थी। परिषद ने नोट किया कि डॉ. मदन कुमार यादव ने विश्वविद्यालय में दिनांक 18 सितंबर 2017 को कार्यभार ग्रहण किया एवं डॉ. टेबोरलांग टी खर्सिटीऊ की लियन अवधि 30 जून 2018 तक थी ।

डॉ. टेबोरलांग टी खर्सिटीऊ के अनुरोध पर उनके लियन को दिनांक 1 फरवरी 2016 से परिसमाप्त किया गया था ।

परिषद ने यह भी नोट किया कि विश्वविद्यालय रिक्त को भरने के लिए पद को विज्ञापित करने में कुछ समय ले सकता है । परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात डॉ. मदन कुमार यादव की संविदा पर नियुक्ति में 30 जून 2016 तक की अवधि के लिए अथवा ऐसी अवधि तक के लिए विस्तार किया जब तक कि पद को नियमित आधार पर भरा जा सके जो भी पहले हो ।

डॉ. मदन कुमार यादव को संविदा पर सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के प्रति देय वेतन एवं भत्ते की राशि के बारे में यह स्पष्ट किया गया कि डॉ. मदन कुमार यादव की नियुक्ति अन्य के साथ विज्ञापन के माध्यम से पूर्ण वेतनमान पर की गई थी । अत: वह नियमित वेतनमान में होगा तथा किसी नियमित नियुक्त को देय वेतन एवं भत्ते का आहरण करेगा ।

ई.सी. 29.4.2: प्रोफेसर नूतन कुमार एस थिंगुजाम, लियन पर प्रोफेसर को कार्यभार मुक्त किया जाना

परिषद ने नोट किया कि प्रोफेसर नूतन कुमार एस थिंगुजाम, त्रिपुरा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में चयनित हुए थे तथा उन्होंने 3 महीने की सूचना अवधि को पूरा करने के बाद दिनांक 21 दिसंबर 2017 से लियन पर कार्यमुक्त किए जाने का अनुरोध किया था

परिषद ने प्रो. नुतन कुमार एस थिंगुजाम के प्रति दिनांक 21दिसम्बर 2017 से एक वर्ष की अवधि हेतु लियन की स्वीकृति त्रिपुरा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए प्रदान की ।

ई.सी. 29.4.3: श्री शैलेश शुक्ला, हिंदी अधिकारी को लियन पर कार्यमुक्त करना ।

परिषद ने नोट किया कि **श्री शैलेष शुक्ला का एम एम डी सी लिमिटेड, हैदराबाद में** कनिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) के रूप में चयन हुआ है, तथा 3 माह की सूचना अवधि तक कार्य करने के बाद दिनांक 29 जनवरी 2018 से कार्यभार मूक्त किए जाने का अनुरोध किया है ।
परिषद ने श्री शैलेश शुक्ला, हिंदी अधिकारी को दिनांक 29 जनवरी 2018 से लागू एक वर्ष की अवधि तक एन डी एम सी लिमिटेड, हैदराबाद में कनिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) के रूप में कार्यग्रहण करने के लिए लियन की स्वीकृति प्रदान की ।

ई.सी. 29.4.4: अध्ययन छुट्टी मामले:

1 डॉ. नागेन्द्र ठाकुर की अध्ययन छुट्टी:

डॉ नागेंद्र ठाकुर, माइक्रोबायोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर ने दिनांक 15 जनवरी 2018 से 14 जनवरी 2019 तक 1 वर्ष के अध्ययन छुट्टी हेतु अनुरोध किया है, ताकि वे जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के वैज्ञानिकों के लिए प्रस्तावित डीबीटी के ओवरसीज एसोसिएट के अंतर्गत पोस्ट डॉ.ल फेलोशिप ग्रहण कर सकें । डॉ नागेंद्र ठाकुर ने दिनांक 22 अप्रैल 2017 को 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूरी की है, तथा एक स्थाई संकाय सदस्य हैं । माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने भी उनके आवेदन की अनुशंसा की है ।

विचार विमर्श के पश्चात परिषद ने डॉ. नागेंद्र ठाकुर को 15 जनवरी 2018 से 1 वर्ष की अवधि हेतु अध्ययन छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की ताकि वे डीबीटीके ओवरसीज एसोसिएटशीप के अंतर्गत पोस्ट डॉ.ल फेलोशिप ग्रहण कर सकें।डॉ. नगेंद्र ठाकुर, सहायक प्रोफेसर को अध्ययन छुट्टी के दौरान वेतन का भुगतान विश्वविद्यालय के नियमानुसार निर्णित की जाएगी ।

2 श्रीमती शाश्वती साहा की अध्ययन छुट्टी :

अंग्रेजी विभाग में सहायक प्रोफेसर श्रीमती शाश्वती साहा ने जादवपुर विश्वविद्यालय स्थित अपने पीएचडी कार्य के लिए 1 फरवरी 2018 से 2 वर्षों की अवधि के लिए अध्ययन छुट्टी की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया है, जहां वे 4 दिसंबर 2012 से पीएचडी शोध पत्र के रूप में पंजीकृत है । श्रीमती शाश्वती साहा दिनांक 8 मई 2017 को 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूरी की है तथा वे एक स्थाई संकाय सदस्य हैं ।

विचार विमर्श के पश्चात परिषद ने श्रीमती शाश्वती साहा, अंग्रेजी विभाग में सहायक प्रोफेसर को जादवपुर विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी कार्य करने के लिए 1 फरवरी 2018 से 2 वर्षों की अवधि हेतु अध्ययन छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की ।

ई.सी. 29.4.5: मानद संकाय पदें

परिषद ने नोट किया कि दिनांक 9 जून 2017 को आयोजित अपनी 27वीं बैठक में कुलपति को अन्य विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों से मानद संकाय पदों के विवरण का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने को प्राधिकृत किया गया था ,कि ऐसे पदों का किस प्रकार प्रबंधन किया जाता है, तथा उन्हें क्या मानदेय भुगतान किया जाता है।

परिषद ने यह भी नोट किया कि कुलपति द्वारा अपनी अध्यक्षता में प्रोफेसर वी रामादेवी, प्रोफेसर अभिजीत दत्ता, प्रोफ़ेसर जटा संकृत्यायन एवं प्रोफेसर शांति एस शर्मा के साथ सदस्य के रूप में एवं संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणिक) के संयोजक के रुप में एक समिति का गठन किया गया था । मानद संकाय पदों को प्रबंधित करने के लिए एक मार्गदर्शी ड्राफ्ट परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

विचार विमर्श के पश्चात परिषद में मार्गदर्शी ड्राफ्ट को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। यद्यपि इनके द्वारा सलाह दी गई की नियुक्ति के स्थान पर 'आमंत्रण' का उपयोग किया जाए। आगंतुक फेलो आदि का समावेश करते हुए एक नामावली पर पुनः कार्य किया जाए। आमंत्रण हेतु मापदंड चिन्हित किए जाने की आवश्यकता है, साथ ही विश्वविद्यालय एमएचआरडी, गृह मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय से विदेशों से आगंतुक संकाय सदस्यों के संबंध में अनुमति प्राप्त करें।

ई.सी. 29.4.6: डॉ. विजय कुमार थांगेलापल्ली, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अन्य के विरूद्ध पी ई ओ 102016ए0003 में सी बी आई केस

परिषद ने नोट किया कि दिनांक 9 जून 2017 को आयोजित अपनी 27 की बैठक विश्वविद्यालय को अगली कार्यवाही के पूर्व विधिक परामर्श प्राप्त करने को कहा गया था। परिषद ने यह भी नोट किया कि विश्वविद्यालय ने इस विषय पर दो विधिक परामर्श मंगाए हैं , एक विश्वविद्यालय के विधि परामर्शदाता से तथा दूसरा श्री बी पीसुब्बा, एडवोकेट, हाईकोर्ट कोलकाता से । दोनों विधिक विशेषज्ञों ने लगभग समान परामर्श दिए हैं। विश्वविद्यालय के विधिक परामर्शदाता का विचार था कि सीबीआई द्वारा की गई अनुशंसा ना सिर्फ उस अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जिसके अंतर्गत विधि अनुसार अभिकरण अन्वेषण करने के लिए सक्षम है, बल्कि कार्रवाई की अनुशंसित प्रकृति भी इस मामले के कार्यक्षेत्र एवं परिदृश्य से बाहर दिखती है , जिसके अंतर्गत अभिकरण को किए जाने वाले किसी अन्वेषण के साथ व्यवहार करने का प्राधिकार है । किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने की शक्ति विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी में संगत सेवा नियमावली के अंतर्गत निहित है। सक्षम प्राधिकारी विहित कार्य पद्धति का अनुसरण करते हुए सेवा नियमों के अनुसार ऐसी कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होंगे ।

श्री बी पी सुब्बा, एडवोकेट, हाईकोर्ट कोलकाता का अभिमत था कि वर्तमान प्रकरण सिविल प्रकृति की है , तथा इसमें कोई अपराधिक तत्व संलग्न नहीं है । सीबीआई ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक

कार्यों में अन्वेषण एवं हस्तक्षेप करके अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है। विश्वविद्यालय के विरुद्ध सीबीआई द्वारा किया गया अन्वेषण यादृच्छिक तथा अपने शक्ति एवं अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण में है ।उनका यह भी विचार था कि कार्यकारी परिषद को सीबीआई के रिपोर्ट से बिना किसी पूर्वाग्रह के एवं विश्वविद्यालय के हित में निर्णय लेना पड़ेगा ।

परिषद ने यह भी नोट किया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 10 नवंबर 2016 के पत्र के माध्यम से सीबीआई रिपोर्ट पर अधिकारियों के संबंध में मांगने के लिए प्रस्ताव की मांग की है। एमएचआरडी ने 8 नवंबर 2017 के पत्र के माध्यम से सीबीआई रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछा है ।

दोनों विधि विशेषज्ञों ने लगभग समान अभिमत दिए हैं कि वर्तमान मामले में निर्णय लेने का प्राधिकार सीबीआई रिपोर्ट पर बिना कोई पूर्वाग्रह रखते हुए कार्यकारी परिषद की है।

परिषद ने पाया कि सीबीआई द्वारा अपनी रिपोर्ट में कुछ अनियमितताएं दर्शायी गई है, जिन्हें सीवीसी एवं एमएचआरडी ने भी संज्ञान में लिया है। इन्होंने सीबीआई के दिनांक 16 फरवरी 2017 के पत्र का भी संज्ञान लिया जिसके माध्यम से सीबीआई रिपोर्ट संदेहास्पद कार्मिकों को उपलब्ध नहीं किया जा सकता है तथा मात्र इस की अंतर्वस्तु को आरोप पत्र जारी करने के लिए उपयोग की जा सकती है।

विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात परिषद ने कुलपति को एक समिति गठित किए जाने के लिए प्राधिकृत किया, जो कि स्क्रीनिंग समिति आदि द्वारा डॉ विजय कुमार थांगेलापल्ली एवं अन्य के नामों के अल्पसूचीकरण में संपादित कथित अनियमितताओं का अध्ययन करेगी, तथा परिषद के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ताकि संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध भविष्य में कार्रवाई यदि कोई हो,पर निर्णय लिया जा सके ।

टेबल मदें

ई.सी. 29.4.7: डॉ. वी. कृष्णा अनंत, एसोसिएट प्रोफेसर को लिएन पर कार्यभार मुक्त करना ।

डॉ. वी. कृष्णा अनंत, इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर ने एसआरएमविश्वविद्यालय, अमरावती में लिबरल आर्ट्स एंड बेसिक साइंसेस के स्कूल में इतिहास विभाग में प्रोफेसर के पद पर एवं अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए 3 माह की सूचना अवधि में कार्य करने के पश्चात 23 फरवरी 2018से लियन पर कार्यमुक्त किए जाने का अनुरोध किया है । परिषद ने नोट किया कि डॉ. वी. कृष्णा अनंत विश्वविद्यालय के स्थाई संकाय सदस्य हैं।

विचार विमर्श के पश्चात परिषद में डॉ. वी. कृष्णा अनंत, एसोसिएट प्रोफेसर को 23 फरवरी 2018 से 1 वर्ष के लियन पर कार्यमुक्त किए जाने को अनुमोदित किया ताकि वे एस आर एम विश्वविद्यालय, अमरावती स्थित लिबरल आर्ट्स एंड बेसिक स्कूल में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार ग्रहण कर सकें ।

ई.सी. 29.4.8: डॉ सुभाष मिश्रा, सहायक प्रोफेसर को लियन पर कार्यमुक्त किया जाना।

शिक्षा विभाग में सहायकप्रोफेसर, डॉ. सुभाष मिश्रा ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए 12 दिसंबर 2017 (अपराहन) से लियन पर कार्यमुक्त किए जाने का अनुरोध किया है । डॉ. सुभाष मिश्रा एक स्थाई संकाय सदस्य हैं, तथा विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार उन्हें 3 माह की सूचना अवधि तक कार्य करना पड़ेगा अथवा सूचना अवधि के कम पड़ गए अंश बदले में समतुल्य वेतन का भुगतान करना होगा ।

विचार-विमर्श पश्चात परिषद द्वारा डॉ. सुभाष मिश्रा को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष की लियन अवधि की स्वीकृति 19 फरवरी 2018 को उनकी कार्यमुक्ति की तारीख से अर्थात 3 माह की सूचना अवधि में कार्य करने अथवा सूचना अवधि के शेष अंश हेतु समतुल्य वेतन का भुगतान करने पर इसके पूर्व, प्रदान की गई ।

ई.सी. 29.4.9: सहायक प्रोफेसरों के सी ए एस के अंतर्गत अगले स्टेज में प्रतिस्थापन हेतु स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति कार्यवाही।

परिषद ने सहायक प्रोफेसरों के अगले स्टेज में सी ए एस के अंतर्गत प्रतिस्थापन हेतु स्क्रीनिंग-सह-मुल्यांकन समिति की कार्यवाही का नीचे दिए गए विवरणानुसार अनुमोदन किया-

क्र.सं.	नाम	विभाग	प्रतिस्थापन का स्टेज	योग्यता की तारीख
1	डॉ. जिम्मे वांग्चुक भुटिया	पर्यटन विभाग	स्टेज II से III	01.07.2017
2	डॉ. संघमित्रा चौधुरी	पी सी एस एवं एम विभाग	स्टेज I से II	09.03.2016
3	डॉ. शैलेंद्र कुमार	प्रबंधन विभाग	स्टेज I से II	09.03.2016
4	डॉ. सुभाष मिश्रा	शिक्षा विभाग	स्टेज I से II	28.01.2015
5	डॉ. सोमेंद्र नाथ चक्रवर्ती	रसायन विभाग	स्टेज I से II	25.08.2015
6	डॉ. समीधा वेदावाला	संगीत विभाग	स्टेज I से II	17.07.2017

ई.सी. 29.4.10: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के साथ एम ओ यू

विचार विमर्श के बाद परिषद ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के साथ ड्राफ्ट एमओयू का 5 वर्षों की वैधता अवधि के साथ अनुमोदन किया (परिशिष्ट -1)

ई.सी. 29.4.11: यू जी सी - गैर नेट फेलोशीप

परिषद को सूचित किया गया कि एम फिलएवं पीएचडी अभ्यर्थियों को क्रमशा रु 5000 एवं रुपया 8000 प्रति माह की दर से यूजीसी-गैर-नेट फेलोशिप संबंधित पाठ्यक्रमों में नामांकन की तारीख से भुगतान किया जाता था । डीनों की समिति ने अपने दिनांक 7अप्रैल 2017 को आयोजित सातवीं बैठक में यूजीसी-गैर-नेट फेलोशिप के प्रति लागू न्यूनतम मापदंड में निम्नलिखित को जोड़े जाने की अनुशंसा की थी:

(i) फेलोशीप अवधि की गणना करना, चाहे फेलोशीप का श्रोत निम्नानुसार में से कुछ भी हो:
(क) एम फिल हेतु 18 माह(ख) पी एच डी का 3 + 1 वर्ष

इस निर्णय को शैक्षणिक परिषद द्वारा 31 मई 2017 को आयोजित अपनी 21वीं बैठक में तथा कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 9 जून 2017 को आयोजित 27 की बैठक में नोट किया गया था । तदनुसार दिनांक 23 जून 2017 को एक अधिसूचना जारी की गई थी ।

परिषद ने आगे नोट किया कि सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संगठन(एस यू एस ए)विश्वविद्यालय द्वारा निवारण किए जाने के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठाए गए थे :

(i) जब तक कि एमफिल /पीएचडी अभ्यर्थीगण पाठ्यक्रम कार्य पूरा नहीं कर लेते हैं, यूजीसी गैर नेट फेलोशिप को बंद करने का औचित्य क्या था ?

(ii) उन पी एच डीअभ्यर्थियों का क्या होगा, जिन्हें पाठ्यक्रम कार्य करने से छूट प्राप्त है, क्योंकि उन्होंने पाठ्यक्रमकार्यएम फिल में ही पूरा कर लिया है तथा न्यूनतम 60% अंक प्राप्त किया है ।

उपरोक्त प्रश्नों का विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 24 जून 2013 के माध्यम से जारी यूजीसी के मार्गदर्शन के आलोक में परीक्षण किया गया , जिनमें कहा गया कि "एमफिल छात्रों के मामले में नामांकन की तारीख से रु 5000 की दर से तथा पीएचडी छात्रों के मामले में पंजीकरण की तारीख से रुपया 8000 की दर से गैर-नेट-फेलोशीप स्वीकृत की जाए"। विश्वविद्यालय ने ऊपर लिखित मार्गदर्शन के अनुसार सिक्किम विश्वविद्यालय में गैर -नेट-फेलोशीप में सम्मिलित होने का निर्णय किया । इस पर डीन समीति द्वारा इनकी 24 अक्टूबर 2017 को आयोजित 10 वीं बैठक में विचार किया गया ,जिनके द्वारा शैक्षणिक परिषद के प्रति दिनांक 23 जून 2017 की अधिसूचना को यूजीसी के 24 जून 2013 के मार्गदर्शन के आलोक में पुनः संशोधन करने की अनुशंसा की गई । यह विषय शैक्षणिक परिषद की 14 नवंबर 2017 को आयोजित 22वीं बैठक में विचारार्थ आया, जिसके द्वारा अनुमोदन हेतु अनुशंसा की गई है ।

परिषद ने आगे नोट किया कि 20 नवंबर 2017 को एस यू एस ए कार्यालय-वाहकों ने यूजीसी गैर-नेट-फेलोशिप की गैर अदायगी के संबंध में कुलपति के साथ एक बैठक की थी तथा यूजीसी के दिनांक 24 जून 2013 के पत्र की मांग की थी । कथित पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका, क्योंकि यूजीसी द्वारा ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया था । वास्तव में यह यूजीसी द्वारा किन्ही राज्य विश्वविद्यालयों को जारी किया गया एक पत्र था। उसके आधार पर जादवपुर विश्वविद्यालय ने अपने विश्वविद्यालय के लिए कुछ मार्गदर्शन का निर्माण किया था । दिनांक 21 नवंबर 2017 को एस यू एस एनेतृत्व में छात्रों का एक दल द्वारा प्रशासनिक खंड के समक्ष गैर-नेट-फेलोशिप निकासी, यूजीसी के दिनांक 24 जून 2013 के पत्र को दिखाते हुए तथा उत्तरदाई कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग रखते हुए प्रदर्शन किया गया ।

छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन के परिप्रेक्ष में विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श के बाद, विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित विवरण हड़ताली छात्रों के समक्ष जारी किया गया जिससे मामला शांत हुआ -

शैक्षणिक कार्य सचिव से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार करते हुए, साथ ही छात्रों द्वारा वहन की जा रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए, कुलपति इस विषय की समीक्षा एवं निम्नानुसार निर्णय करने को इच्छुक है:

(1) एमफिल /पीएचडी गैर-नेट-फेलोशिप का संवितरण बकाया सहित तत्काल प्रभाव से किया जाएगा । दिनांक 23 जून 2017 की अधिसूचना के प्रति संशोधन कल जारी किया जाएगा।

(2) अधिसूचना, दिनांक 23 जून 2017 के जारी किए जाने के संबंध में जांच की जाएगी एवं तत्पश्चात कार्रवाई की जाएगी ।

तथा इस मामले को कार्यकारी परिषद की अगली बैठक में भी रखा जाएगा । परिषद ने आगे नोट किया कि दिनांक 23 जून 2017 की अधिसूचना को रद्द करते हुए अधिसूचना, दिनांक 22 नवंबर 2017 जारी की गई थी तथा एमफिल/ पीएचडी छात्रों के प्रति यूजीसी गैर-नेट-फेलोशीप से संबंधित पाठ्यक्रमों में नामांकन की तारीख से बकाया सहित स्वीकृत किया गया था । जांच समिति नहीं गठित की जासकी, क्योंकि जांच समिति के प्रति छात्र नॉमिनी एस यू एस ए द्वारा दिनांक 22 नवंबर 2017 के ईमेल एवं 30 नवंबर 2017 के पत्र द्वारा दिए स्मरण दिलाए जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं करवाया गया ।

परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई को नोट किया तथा सलाह दी कि ऐसे मुद्दों को विश्वविद्यालय द्वारा कुलपति के स्तर पर निर्णित किए जाएं ,और जब कभी सांविधिक प्राधिकार के अनुमोदन हेतु रखा जाए । परिषद ने आगे इस मामले में जांच समिति गठित करने की सलाह दी ।

भाग-5

प्राधिकारियों/समितियों के कार्यवृत्त

ई.सी. 29.5.1: शैक्षणिक परिषद की 14 नवंबर 2017 को आयोजित 22वीं बैठक के कार्यवृत्त

परिषद ने शैक्षणिक परिषद की 14 नवंबर 2017 को आयोजित 22वीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया । परिषद ने आगे निम्नलिखित मदों के लिए विशेष अनुमोदन प्रदान किया:

(i) प्रमाण पत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विनियम (परिशिष्ट 2)।परिषद ने आगे सलाह दी कि भुगतान विश्वविद्यालय के नीति के अनुरूप की जाए ।

(ii) विश्वविद्यालय में पीएचडी, एमफिल एवं बीवीओसीप्रोग्रामों के संचालन पर भी नियमावली (परिशिष्ट 3, 4 एवं 5)।परिषद के समक्ष यथा-प्रस्तुत संशोधित नियमावली का अनुमोदन किया गया ।

(iii) कार्ययोजना 17 में से 17 (परिशिष्ट -6)

(iv) परिषद ने नामग्याल इंस्टिट्यूट ऑफ टिबैटोलॉजी (ए आई टी), देवराली, गंगटोक को सांस्थानिक संबद्धता प्रदान करने का अनुमोदन किया। यद्यपि, किसी पाठ्यक्रम के आरंभ करने के पूर्व एनआईटी को विहित प्रपत्र में आवेदन करना होगा, तथा पाठ्यक्रम को सिक्किम विश्वविद्यालय के मानकों के अनुरूप होना होगा ।

(v) शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए नौ (9) महाविद्यालयों की अस्थाई संबद्धता के नवीनीकरण का अनुमोदन किया ।

(vi) लायला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नाम्ची में शैक्षणिक सत्र 2017-18 से शिक्षा में एम ए की अस्थायी सम्बद्धता का अनुमोदन किया ।

टेबुल मदें

ई.सी. 29.5.2: वित्त समिति की नई दिल्ली स्थित दिनांक 24 नवम्बर 2017 को आयोजित 17वीं बैठक के कार्यवृत्त

विचार-विमर्श के पश्चात परिषद ने वित्त समिति की अनुशंसाओं को नोट किया तथा निम्न के प्रति विशेष अनुमोदन प्रदान किया:

(i) कुलपति को एमएचआरडी के प्रति प्रस्तुतीकरण हेतु वार्षिक लेखा2016-17 के साथ अंतिम एसएआर को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया ,जो कि संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाना है।

(ii) बकाया लेखापरीक्षा पैरा पर विचार करने के लिए स्थाई लेखा परीक्षा समिति गठित किया जाना।

(iii) परिषद ने वित्त समिति के किराया आर्थिक सहायता एवं सहायता के प्रति दृष्टिकोण को नोट किया । लंबे विचार विमर्श के बाद अध्यक्ष ने परिषद के समक्ष किराया आर्थिक सहायता स्वीकृत किए जाने के कारणों को स्पष्ट किया । परिषद ने यूजीसी द्वारा सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के समय किराया आर्थिक सहायता का पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया ।

(iv) संशोधित बजट प्राक्कलन 2017-18

भाग - 6

अध्यक्ष महोदय की ओर से मामले

ई.सी. 29.6.1: वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

अध्यक्ष ने वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के बारे में एक प्रस्तुतीकरण दिया । परिषद ने विश्वविद्यालय के वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 को एमएचआरडी के प्रति भेजे जाने के लिए अनुमोदन किया, जो कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी । अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त घोषित हुई

ह0/-
(टी.के.कौल)
कुलसचिव एवं सचिव

ह0/-
(प्रो.ज्योति प्रकाश तामंग)
कुलपति एवं अध्यक्ष